

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध-आदेश ::

क्रमांक- 79/एक-5-3/88

सीधी, दिनांक-25/09/2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/4099/तीन-6-3/85 जबलपुर दिनांकित 4.9.2024 के साथ प्राप्त मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3564/ एककीस-ब (एक)/2024 दिनांकित 2.9.2024 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय, सीधी के क्षेत्राधिकार में संशोधन किये जाने से मैं, संजीव पाण्डे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 05 दिनांक 12.01.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
6 क	श्री विकास चौहान, तृतीय, जिला न्यायाधीश, सीधी।	नगरपालिका क्षेत्र सीधी, तहसील गोपदबनास, रामपुर नैकिन के क्षेत्राधिकार को छोड़कर, सीधी जिले की शेष सभी तहसीलों से उत्पन्न कौटुम्बिक मामलें।	<ol style="list-style-type: none">1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण।2. दत्तक ग्रहण अधिनियम क अंतर्गत गोदनामा बावत आवेदन पत्र।3. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1968 के तहत प्रकरण।4. विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रकरण।5. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण <p>नोट-कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा-7 से संबंधित तथा अन्य संबंधित प्रकरण जिसका उल्लेख वर्ष 2024 के कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है।</p>

सही /-

(संजीव पाण्डेय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सीधी (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

पृ.क.- 3067/एक-5-3/88

सीधी, दिनांक 25/09/2024

प्रतिलिपि:-यथा निर्देशित-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. समस्त न्यायालय सीधी/चुरहट/मझौली/ रामपुर नैकिन / कुटुम्ब न्यायालय सीधी।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/ रामपुर नैकिन ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना की वेबसाइट/समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

कृते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)